राजस्थान सरकार

निदेशालय पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने), जयपुर

क्रमांकः संस्था / एफ.5(457)पवि / 2004 / दिनांकः

–: परिपत्र :–

प्रायः यह देखा गया है कार्यालय में पत्रावलियों का प्रस्तुतीकरण निर्धारित कार्यालय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। अतः पत्रावलियों के प्रस्तुतीकरण में, निर्देशानुसा निम्नानुसार बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावें :–

1. सभी पत्रावलियां विधिवत रूप से सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए यथा समस्त पत्रादि ठीक प्रकार से पत्रावलित किये जाएं, पत्रावली का कवर तथा फाईल पैड यथा संभव अच्छी स्थिति में हों, कटे फटे हुए ना हो। तथा पत्रावली के सभी पृष्ठ स्पष्ट रुप से पृष्ठांकित किये हुए हों।
2. अनावश्यक रूप से पत्रावली में ध्वज (Flag) नहीं लगाये जावे। जिस प्रकरण के संबंध में पत्रावली प्रस्तुत की जा रही केवल उससे संबंधित पत्रादि ही ध्वजांकित किये जावे।
3. पत्रावलियों की नोटशीट
4. पर टिप्पणियों / अनुच्छेदों पर क्रमांक अंकित करते हुये अनुभाग के रस्टिर में इन्द्राज कर ही आगे प्रेषित की जावें।
5. पत्रावली का निर्णयार्थ कहां तक भेजी जानी है, उसका अंतिम स्तर अंकित किया जावें।
6. जो पत्रावली आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन एवं माननीय पर्यटन मंत्री महोदय को टिप्पणी हेतु भेजी जानी है, उस नोटशीट में नीचे पर्याप्त स्थान (लगभग आधा पृष्ठ) रखा जावें।
7. पत्रावली पर न्यूनतम पांच रिक्त नोटशीट उपलब्ध हों।
8. पत्रावली की विषय–वस्तु के अनुसार आवश्यक / अत्यावश्यक / आज ही, इंगित किया जावें।
9. पत्रावली के साथ नीचे रखे पत्रों / सूचनाओं को पताका से इंगित करते हुये सूचना सामग्री को फाईल कवर पर जैमक्लिप लगाते हुये हस्तारक्षर किये जाने वाले पत्र / आदेश / परिपत्र इत्यादि पर फ्लैग से इंगित किया जावें।
10. प्रकरण / पत्रावली प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे।

(संजय पाण्डे)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांकः संस्था / एफ.5(457)पवि / 2004 / 23510-29 दिनांकः– 21/01/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पर्यटन विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, (प्रशासन / विपणन / प्रचार / सामान्य / ट्रेड / सीएसएस / राज्य योजना / निवेश / आयोजना एवं सांख्यिकी / टैफ / मेले–त्यौहार / राजस्थान दिवस / रिटमैन / सूचना का अधिकार / न्यायिक प्रकरण / सामान्य भण्डार / रिकार्ड / पुस्तकालय / विजिट / होटल / आई.टी.), पर्यटन विभाग, जयपुर।

(राजेश कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)